किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act अनवान–श्यामसिंह बनाम तगाराम मु.नं. 63/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.07.2024	प्रार्थीगण वकील के निवेदन पर पत्रावली आज तलब की गई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी वकील जवाब पेश नहीं करना चाहते है। अतः विप्रार्थीगण वकील का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रमणिया तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1941/1937, 1942/1937, 1935/193, 1936/193, 1940/1937 रकबा क्रमशः 0.4127, 0.4128, 0.4128, 0.4128 व 0.4128, हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2024.07.29 16:11:21 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2024 / 321   दिनांक : 09.07.2024

प्रार्थीगण — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

श्यामसिंह पुत्र भीमसिंह — तगाराम पुत्र वेलाराम वगैरा

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं 63 / 2024   दिनांक :– 01.07.2024

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम रमणिया तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 1941 / 1937,1942 / 1937,1935 / 193,1936 / 193 व 1940 / 1937 रकबा क्रमशः 0.4127,0.4128,0.4128,0.4128 व 0.4128 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 /–प्रार्थीगण अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाडमेर)

क्रमांकः वाचक / 2024 / 322-325   दिनांक : 09.07.24

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी मवडी को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी श्यामसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.07.29 16:11:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाडमेर)